टूरिस्ट परमिट लेना हुआ आसान

अब डीटीओ व कमिश्नरी कार्यालय से ही गाड़ियों की मिलेगा पर्यटक परमिट

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

पटना।

छोटे वाहनों (23 सीट एवं उससे कम बैठान क्षमता वाले) के पर्यटक परमिट के लिए अब ज्यादा भाग दौड़ करने की जरुरत नहीं है। बिहार में टूरिस्ट परमिट लेना अब काफी आसान हो गया है। अपने जिले के क्षेत्रीय डीटीओ कार्यालय से ही पर्यटक परमिट ले सकते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है।

परिवहन विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रमंडलीय जिलों से भिन्न जिलों में 23 सीट एवं उससे कम के वाहनों के पर्यटक परमिट देने का पावर डीटीओ को डेलिगेट किया गया है। संयुक्त आयुक्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के द्वारा पूर्णिया में पहला टूरिस्ट परमिट बुधवार को जारी किया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस नई व्यवस्था से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटक वाहन टैक्सी या कैब का परमिट आसानी से लिया जा सकता है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा- इस नई व्यवस्था से बिहार में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

पहले बोधगया और नालंदा आदि जिलों से टूर ऑपरेटर को पर्यटक परमिट के लिए आना पड़ता था पटना

पहले बोधगया, नालंदा, वैाली आदि दूर दराज के टूर ऑपरेटर को परमिट लेने के लिए पटना आना पड़ता था। बोधगया और नालंदा से कई लोग यूपी से जाकर पर्यटक परमिट लेते थे। अब वहीं आसानी से परमिट मिल जाएगा।

डीटीओ को परमिट का पावर मिलने से वाहन मालिकों को विशेष रुप से फायदा होगा। इससे न सिर्फ वाहन मालिकों को समय की बचत होगी, बल्कि परमिट के लिए जिला से कमिनरी आने की भी आवयकता नहीं पड़ेगी। पटना जिला में सभी प्रकार के वाहनों को पर्यटक परमिट की स्वीति एवं निर्गमन पूर्व की तरह सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा किया जाएगा। प्रमंडलीय जिले सहरसा और सारण प्रमंडल में 23 सीट एवं उससे कम क्षमता वाले वाहनों को पर्यटक परमिट की स्वीति एवं निर्गमन की शक्ति जिला परिवहन पदाधिकारी को दी गई है।